न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 51/2016 निर्णय दिनांक :– 12.03.19

छीतर पुत्र स्व. गोपाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. देवकरण पुत्र काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. देवलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. प्रहलाद पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. हरिराम पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. किशनलाल पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. शंकरलाल पुत्र लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. मांगी पुत्री लाला पत्नी रामफूल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ हाल निवासी गैरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
8. तुलसी पुत्री लाला पत्नी सोजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ हाल निवासी उन्दरी तहसील सावर जिला अजमेर
9. छग्गू पत्नी लाला जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. देवलाल पुत्र माता नाराणी पुत्र श्योजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी उन्दरी तह. सावर जिला अजमेर
11. सोराज पुत्र माता नाराणी पुत्र श्योजी उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक पिता सोजी पुत्र.......... जाति गुर्जर निवासी उन्दरी तह. सावर जिला अजमेर
12. तहसीलदार देवली (लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–
श्री एस. आर. डडवानिया
श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही

<u>वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालया हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री आदेश दिनांक 02.06.16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बीजवाड़ में पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। वादी अधिवक्ता की प्रार्थना रही कि कुरेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुरेताज रिपोर्ट प्रकरण में अन्तिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावे। अधिवक्ता वादी की सहमति व प्रार्थना को मध्यनजर रखते हुये कुरेताज रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में एकतरफा अन्तिम निर्णय डिक्री आदेश एतद्द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबन्दी संम्वत 2070–73 वाके ग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ भू. अभि. नि. क्षैत्र मालेड़ा में स्थित आराजी जमाबन्दी खाता संख्या 270 में दर्ज कुल 04 किता कुल रकबा 0.79 है0 खसरा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, की खातेदारी कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 12.03.19 को सुनाया गया।

(अशोक कुमार त्यागी)
उपखण्ड अधिकारी
देवली